न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र मोहन सहाय ... ...उच्चतर न्यायिक सेवा।

दाण्डिक पुनरीक्षण सं० 361/2024

CNR No. UPFZ010072732024

Computer Registration No.366/2024

J.O.Code: UP-6117

गौतम पदमनाभन आयु लगभग 54 वर्ष पुत्र श्री के०एस०पदमनाभन निवासी 304 Oceanic, House of Hiranandani, 5/63 Egattur, Rajiv Gandhi salai, Chennai-603103

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1. उ०प्र०राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
2. **सर्वेश अवस्थी** आयु लगभग 45 वर्ष पुत्र स्व० श्री अखिलेश कुमार अवस्थी निवासी 905 गोलाघाट अयोध्या, थाना कोतवाली अयोध्या, जिला अयोध्या।

----------विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण वाद, निगरानीकर्ता **गौतम पदमनाभन** द्वारा अन्तर्गत धारा-397 जा० फौजदारी/धारा 438 सपठित धारा 440 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या 6341/2018 में पारित तलबी/समन आदेश दिनांकित 19.12.2019 तथा इसी परिवाद का नया परिवाद संख्या 1811/2024 में पारित आदेश दिनांकित 13.11.2024, से क्षुब्ध होकर संस्थित की गई है।

2. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या 6341/2018 में दिनांक 19.12.2019 को आदेश पारित करते हुए निगरानीकर्ता एवं अमीश त्रिपाठी को विचारण हेतु समन/तलब किया गया है, तत्पश्चात निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.12.2020 अन्तर्गत धारा 245(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि उनके विरूद्ध तलबी आदेश दिनांकित 19.12.2019 को अपास्त करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर उन्हें उन्मोचित करने की कृपा करें।

3. संक्षेप में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि विपक्षी सं 2 (सर्वेश अवस्थी) द्वारा दाखिल आपराधिक शिकायत संख्या 6341/2018 में विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह नजर अंदाज किया है कि सर्वेश अवस्थी (विपक्षी सं 2) ने निगरानीकर्ता पर दबाव बनाने के लिए, निगरानीकर्ता को यह जानते हुए कि उनके द्वारा पुस्तकें प्रकाशित की गई है, उनकी प्रसिद्धि व प्रतिष्ठा को

Digitally signed by Surendra Mohan Sahay
Date: 2026.07.21 16:36:43 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

क्षति पहुँचाने के लिए दाण्डिक शिकायत दाखिल की गई। उक्त दाण्डिक शिकायत के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में पूर्णतया विफल रहा है कि उसमें विश्वसनीय साक्ष्यों की स्पष्ट कमी है। विचारण न्यायालय द्वारा शिकायत से संबंधित संदिग्ध परिस्थितियों होने के बावजूद कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देकर कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है और निगरानीकर्ता के उन्मोचन आवेदन पत्र को मनमाने ढंग से निरस्त कर उसके अधिकारों का घोर उल्लंघन किया है। शिकायतकर्ता/परिवादी विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रैक्टिसिंग वकील है और स्थानीय बार एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य प्रतीत है, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने नजरअंदाज किया है। यदि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण में उचित और गहन जांच की होती, तो यह बात सामने आ जाती कि मूल शिकायत विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और निगरानीकर्ता और अमीश त्रिपाठी को परेशान करने के लिए दायर की गई है। मूल शिकायत में वर्णित पूरी कहानी झूठी और मनगढ़ंत है। विपक्षी संख्या 2 ने एफआईआर दर्ज करने के लिए धारा 156(3) सी.आर.पी.सी के तहत निर्देश मांगने वाला आवेदन दाखिल करने के बजाय निजी शिकायत दर्ज करना चुना, जबकि शिकायत में लगाए गए सभी आरोप संज्ञेय हैं और कथित तौर पर विपक्षी संख्या 2 ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से भी शिकायत की थी। इसके अलावा, विपक्षी संख्या 2 ने संबंधित पुलिस अधिकारी से स्थिति रिपोर्ट मंगवाने के लिए निचली अदालत से अनुरोध करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि विपक्षी संख्या 2 को भलीभांति पता था कि पुलिस जांच से मूल शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई उजागर हो जाती और चूंकि मूल शिकायत में बताए गए तथ्य और परिस्थितियां प्रथम दृष्टया झूठे और मनगढ़ंत प्रतीत होते हैं, इसलिए पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया। विद्वान विचारण न्यायालय निगरानीकर्ता और अमीश त्रिपाठी की स्थिति और पृष्ठभूमि को समझने में विफल रही, जो किसी भी तरह से शिकायत और पूर्व-समन साक्ष्य में लगाए गए झूठे आरोपों के अनुरूप ऐसे कृत्यों में लिप्त नहीं हो सकते। समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं और प्रकाशन जगत में उनकी बेदाग प्रतिष्ठा है। शिकायत में लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं और इस तरह का कृत्य करने के लिए किसी हिंसक और कुटिल स्वभाव के व्यक्ति, जैसे कि किसी गैंगस्टर, की आवश्यकता होती है, और लेखकों, प्रकाशकों आदि जैसे शैक्षणिक सदस्यों का समाज इस तरह के कृत्यों को करने से परहेज करता है। अर्थात विपक्षी संख्या 2 द्वारा मूल शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से दुर्भावना और द्वेष से ओतप्रोत हैं। माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.11.2020 के आदेश द्वारा उक्त याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को डिस्चार्ज आवेदन के माध्यम से निचली अदालत में जाने की अनुमति दी और निचली अदालत को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि वह पक्षों को सुनने के बाद एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश के माध्यम से मामले की शीघ्र सुनवाई और निर्णय करे। विद्वान विचारण न्यायालय ने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना, टैक्निकल रूप से निगरानीकर्ता और

अन्य आरोपी व्यक्तियों को तलब किया है।

4. निगरानीकर्ता द्वारा अपने तर्कें के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **[Manharibhai MuljibhaiKakadia and anr. Versus ShaileshbhaiMohanbhai Patel and ors. (2012) 10 SCC 517]** में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के दोहरे उद्देश्य हैं:

> "*एक, मजिस्ट्रेट को शिकायत में लगाए गए आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करने में सक्षम बनाना ताकि उसमें आरोपी के रूप में नामित व्यक्ति को अनावश्यक, तुच्छ या निराधार शिकायत का सामना करने से रोका जा सके;*
>
> *दूसरा, यह पता लगाना कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोपों का समर्थन करने वाली कोई सामग्री मौजूद है।*"

इस मामले में यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करने में विफल रहा, ताकि आरोपी को अनावश्यक, तुच्छ और निराधार शिकायत का सामना करने से रोका जा सके, और यह पता लगाने में भी विफल रहा कि क्या मूल शिकायत में लगाए गए आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री मौजूद है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महमूद उल रहमान बनाम खज़ीर मोहम्मद टुंडा और अन्य [(2016) 1 एससीसी (क्रिमिनल) 124]** के मामले में यह निर्णय दिया है कि "***समन जारी करने से पहले न्यायिक विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए और कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।***" दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(ख) के तहत मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट का लाभ प्राप्त होता है और धारा 190(1)(ग) के तहत उसे अपराध के घटित होने की सूचना या जानकारी होती है। लेकिन धारा 190(1)(क) के तहत उसके समक्ष केवल शिकायत होती है। अतः संहिता में यह निर्दिष्ट है कि "ऐसे तथ्यों की शिकायत जो ऐसे अपराध का गठन करती हो"। अतः, यदि शिकायत से प्रथम दृष्ट्या किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट धारा 190(1)(क) के तहत संज्ञान नहीं लेगा। शिकायत को सीधे-सीधे खारिज कर दिया जाएगा। धारा 190(1)(क) और उसके बाद धारा 204 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा उठाए गए कदम यह दर्शाने चाहिए कि मजिस्ट्रेट ने तथ्यों और बयानों पर विचार किया है और वह संतुष्ट है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कानून के उल्लंघन का आरोप है, उसे न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए कहकर मामले में आगे की कार्यवाही करने का आधार है। कार्यवाही के आधार पर संतुष्टि का अर्थ यह होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोप एक अपराध का गठन करते हैं और दर्ज किए गए बयानों के साथ विचार करने पर, प्रथम दृष्टया, आरोपी को दोषी साबित करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, जब शिकायत खारिज की जाती है, तब धारा 203 सी.आर.पीसी के तहत विस्तृत आदेश पारित किया जाना चाहिए और उसमें भी कारणों का संक्षिप्त उल्लेख ही आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, मजिस्ट्रेट को डाकघर की तरह प्रत्येक शिकायत

का संज्ञान लेकर स्वतः ही प्रक्रिया जारी नहीं करनी चाहिए। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में पर्याप्त संकेत होना चाहिए कि वह संतुष्ट है कि शिकायत में लगाए गए आरोप अपराध का गठन करते हैं और दर्ज किए गए बयानों और धारा 202 सीआरपीसी के तहत जांच या छानबीन रिपोर्ट (यदि कोई हो) के परिणाम पर विचार करने पर, यदि अभियुक्त आपराधिक न्यायालय के समक्ष उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी है, तो धारा 204 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त के खिलाफ उपस्थिति के लिए प्रक्रिया जारी करने का आधार है। विवेकपूर्ण निर्णय का सर्वोत्तम प्रदर्शन संतुष्टि के समय विवेकपूर्ण निर्णय के प्रकटीकरण से होता है। यदि किसी मामले में मजिस्ट्रेट धारा 190/204 दंड प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करता है और ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है, तो उच्च न्यायालय धारा 482 दंड प्रक्रिया के तहत आपराधिक न्यायालय की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महेंद्र सिंह धोनी बनाम येरागुंटला श्यामसुंदर और अन्य (स्थानांतरण याचिका आपराधिक संख्या 23/2016)** के मामले में दिनांक 20.04.2017 के निर्णय और आदेश के माध्यम से शिकायत कार्यवाही को रद्द करते हुए निर्णय दिया है कि मामले को समाप्त करने से पहले, हम एक चेतावनी देना चाहेंगे कि संज्ञान लेने और समन जारी करने की शक्ति प्राप्त मजिस्ट्रेटों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायत कार्यवाही में लगाए गए आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करें कि क्या वे अपराध के मूल तत्वों को पूरा करते हैं; क्या क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की अवधारणा संतुष्ट होती है; और क्या वास्तव में आरोपी को तलब करना आवश्यक है। इसे प्रक्रिया जारी करने वाले न्यायालय का प्राथमिक न्यायिक दायित्व माना जाना चाहिए।

5. निगरानीकर्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय उल्लिखित विधि व्यवस्था **सुनील भारती मित्तल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2015 AIR(SC) 923** का उल्लेख किया है, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि "***अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा विवेकपूर्ण जांच और इस बात की संतुष्टि अनिवार्य है कि आरोप सिद्ध होने पर अपराध का गठन करेंगे। इसलिए, शिकायत या पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह इस प्रश्न पर विचार करे कि क्या इससे अपराध का अभियोग सिद्ध होता है और इस संबंध में अपनी राय बनाए। जब वह ऐसा करता है और प्रक्रिया जारी करने का निर्णय लेता है, तो इसे संज्ञान लेना माना जाएगा। संज्ञान लेने के चरण में, न्यायालय के समक्ष एकमात्र विचारणीय बात यह है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए प्रस्तावित सामग्री प्रथम दृष्टया मामला बनाती है या नहीं***" किसी अपराध का संज्ञान लेना और अपराधी पर मुकदमा चलाना दो अलग-अलग बातें हैं। संहिता की धारा 190 अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देती है, न कि अपराधियों से निपटने का। इसलिए, संज्ञान तब भी लिया जा सकता है जब शिकायत दर्ज करते समय या एफ.आई.आर दर्ज करते समय अपराधी का नाम ज्ञात न

हो। उनके नाम जांच के दौरान या बाद में सामने आ सकते हैं। जिस व्यक्ति का नाम आरोपपत्र में आरोपी के रूप में दर्ज नहीं है, उसे संहिता की धारा 190 के तहत संज्ञान लेने के चरण में तलब किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी प्रक्रिया जारी करने के लिए सशक्त है, जिसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में उसकी संलिप्तता दर्शाने वाली पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए। उस स्थिति में, मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को नजरअंदाज करने और जांच से सामने आए तथ्यों पर स्वतंत्र रूप से विचार करने और मामले का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। साथ ही, इस स्तर पर जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री के अलावा किसी अन्य सामग्री पर विचार करना अनुमेय नहीं है।

6. निगरानीकर्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रक्रिया जारी करने या अस्वीकार करने के संबंध में व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है और इसका प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को केवल शिकायत दर्ज होने के कारण न्यायालय में नहीं घसीटा जाना चाहिए। यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करनी चाहिए। इसे केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे लगता है कि इससे दोषसिद्धि की संभावना कम है। हालांकि, धारा में प्रयुक्त "कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार" शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उक्त अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, इस संबंध में उचित विचार-विमर्श के बाद ही कोई राय बनाई जानी चाहिए और ऐसी राय का उल्लेख आदेश में ही किया जाना चाहिए। यदि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के दौरान कोई कारण नहीं दिया जाता है, तो आदेश को रद्द किया जा सकता है, यद्यपि आदेश में विस्तृत कारण देना आवश्यक नहीं है। इससे भी बढ़कर, यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो आदेश विधिवत रूप से गलत होगा। इसके लिए विद्वान विचारण ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने **वडीलाल पंचाल बनाम दत्तात्रेय दुलाजी घडीगांवकर और अन्य (AIR 1960 SC 1113)** के मामले में यह माना है कि ***Cr.P.C की धारा 202 का दायरा शिकायत की सत्यता या असत्यता का पता लगाना है ताकि प्रक्रिया जारी करने के प्रश्न का निर्धारण किया जा सके***। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 202 के तहत उचित जांच करने में विफल रहा, और केवल इसी आधार पर विवादित समन आदेश और अंतर्निहित शिकायत को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 को दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा 22 जून 2006 से प्रभावी रूप से संशोधित किया गया था, जिसमें 'और ऐसे मामले में जहां आरोपी उस क्षेत्र से बाहर रहता है जहां वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है' शब्द जोड़े गए थे। इस

संशोधन के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, अर्थात् दूर स्थित व्यक्तियों के खिलाफ झूठी शिकायतों को रोकना ताकि उन्हें अनावश्यक उत्पीड़न से बचाया जा सके। उपर्युक्त संशोधित प्रावधान विचारण न्यायालय पर प्रक्रिया जारी करने से पहले जांच या प्रत्यक्ष जांच करने का दायित्व डालता है, ताकि झूठी शिकायतों को छाँटा और खारिज किया जा सके। उपरोक्त उद्देश्य उक्त संशोधन का प्रस्ताव करने वाले विधेयक के साथ संलग्न नोट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है और धारा 202 सी.आर.पी.सी में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है, जिसे विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अतः निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी याचिका में उल्लिखित तथ्यों के प्रकाश में परिवाद खारिज करते हुए तलबी (समन) आदेश दिनांक 19.12.2019 सहित उन्मोचन आवेदन पत्र के संबंध में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13.11.2024 निरस्त कर उसे अतिरिक्त राहत प्रदान करने की याचना की गई है।

6. विपक्षी सं 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। विपक्षी संख्या 1 की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित। मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना गया।

7. प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 190 जा०फौ० विपक्षी सं०-2 सर्वेश अवस्थी द्वारा निगरानीकर्ता और अमीश त्रिपाठी के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह आधार लिया गया था कि दिनांक 08.01.2018 को जब वह अधिवक्ता चेम्बर बिल्डिंग के नीचे कचेहरी परिसर में खड़ा था, तब अमीश त्रिपाठी व गौतम पदमनाभन व उनके कुछ साथियों ने उसे परिवाद वापस लेने को कहा व जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज किया तथा मारा पीटा व साथ ही गले की सोने की चैन को भी छीन लिया। जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2019 को न्यायालय द्वारा अमीश त्रिपाठी तथा गौतम पदमनाभन को समन किया।

8. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 245(2) द०प्र०सं० प्रस्तुत कर स्वयं को उन्मोचित किये जाने की याचना की गई। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त संबंध में दिनांक 13.11.2024 को आदेश पारित करते हुए यह तर्क दिया गया कि धारा 202(1) द०प्र०सं० के अन्तर्गत पुलिस द्वारा संक्षिप्त अन्वेषण नहीं कराया गया है, जिस कारण आदेश दिनांकित 19.12.2019 त्रुटिपूर्ण है। जिसके संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में यह मत व्यक्त किया गया है कि इस संबंध में अब कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। उन्मोचन के बिन्दु पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त/निगरानीकर्ता के विरूद्ध आरोप आधार विहीन हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र में लिये गये अन्य आधारों पर भी मात्र सरसरी तौर पर यह मत व्यक्त

कर कि अन्य आधार साक्ष्य की विषय वस्तु होने के कारण इस स्तर पर विचार योग्य नहीं है, मात्र न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर तथ्यों को नजरअंदाज कर आक्षेपित आदेश पारित करने को दर्शाता है।

9. विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा पी०डब्लू 1 राहुल सिंह एवं पी०डब्लू 2 शशीन्द्रनाथ त्रिपाठी दोनों का टंकित बयान संलग्न हैं। दोनों साक्षीगण का बयान एक ही तिथि अर्थात दिनांक 19.11.2019 का टंकित है। दोनों बयानों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दोनों बयानों में तथ्य बिल्कुल सटीक एवं समान प्रतीत होते हैं, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर आक्षेपित आदेश में कोई प्रकाश न डालकर सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है।

10. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित समन (तलबी) आदेश दिनांकित 19.12.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा राहुल सिंह एवं शशीन्द्रनाथ त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य को प्रथम दृष्टया आधार बनाते हुए परिवादी को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने, भद्दी-भद्दी गालियां देकर अपमानित करने एवं धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के साथ परिवादी की सोने की चेन की चोरी करने का अपराध कारित किये जाने के आरोप में तलब किया गया है, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तलबी आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही धारा 202(1) द०प्र०सं० के अन्तर्गत आरोपों के संबंध में पुलिस से जांच की कराई गई है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **वडीलाल पंचाल बनाम दत्तात्रेय दुलाजी घडीगांवकर और अन्य (AIR 1960 SC 1113)** के मामले में यह माना है कि ***Cr.P.C की धारा 202 का दायरा शिकायत की सत्यता या असत्यता का पता लगाना है ताकि प्रक्रिया जारी करने के प्रश्न का निर्धारण किया जा सके***। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महेंद्र सिंह धोनी बनाम येर्रागुंटला श्यामसुंदर और अन्य (स्थानांतरण याचिका आपराधिक संख्या 23/2016)** के मामले में दिनांक 20.04.2017 के निर्णय और आदेश के माध्यम से शिकायत कार्यवाही को रद्द करते हुए निर्णय दिया है कि मामले को समाप्त करने से पहले, हम एक चेतावनी देना चाहेंगे कि संज्ञान लेने और समन जारी करने की शक्ति प्राप्त मजिस्ट्रेटों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायत कार्यवाही में लगाए गए आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करें कि क्या वे अपराध के मूल तत्वों को पूरा करते हैं। यद्यपि यह सही है कि न्यायालय परिवादी/शिकायतकर्ता की के परिवाद/शिकायत अन्तर्गत धारा 190 द०प्र०सं० के पर आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच कर एवं आरोपों के समर्थन में दाखिल साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन के उपरान्त न्यायालय आरोपी को विचारण के लिए तलब/समन कर सकता है, यह न्यायालय के अन्तर्निहित शक्तियों में है। किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाएं हैं कि विचारण न्यायालय को अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए, प्रस्तुत प्रकरण में

विद्वान विचारण न्यायालय आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करने में विफल रहा, क्योंकि प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आरोपों की जांच धारा 202(1) द०प्र०सं० के अन्तर्गत पुलिस से कराये जाने का विधिक उपचार मौजूद था।

11– उपर्युक्त सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 19.12.2019 एवं आदेश दिनांकित 13.11.2024 विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 19.12.2019 एवं आदेश दिनांकित 13.11.2024 निहित क्षेत्राधिकार का सही एवं सावधानीपूर्वक प्रयोग करते हुए पारित नहीं किया गया है। प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है और आक्षेपित आदेश 19.12.2019 एवं आदेश दिनांकित 13.11.2024 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण वाद सं०-361/2024 स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या 6341/2018 में पारित तलबी/समन आदेश दिनांकित 19.12.2019 तथा इसी परिवाद का नया परिवाद संख्या 1811/2024 में पारित आदेश दिनांकित 13.11.2024 अपास्त किये जाते हैं।

विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे इस निर्णय में उल्लिखित विधिक प्रावधानों और निर्णय में किये गये सम्प्रेक्षणों के प्रकाश में उभय पक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करके विधि अनुसार आदेश पारित करें।

इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापस की जाये। उभय पक्ष दिनांक 03.08.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

दिनांक 21.07.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code-UP6117
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अयोध्या

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 21.07.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code-UP6117
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अयोध्या